न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 127/2015

1 श्रीमती जमना पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री भींवाराम
2 श्रीमती बिमला पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री महावीर
जाति जाट हाल निवासीगण बामलास, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती छोटी पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री ताराचन्द जाति जाट हाल निवासी ढाका की ढाणी तन टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीमती मंजू पुत्री स्व. महादेवाराम पत्नी उम्मेद
5 श्रीमती मुंगी उर्फ सावित्री पुत्री स्व. महोदवाराम पत्नी महिपाल
जाति समस्त जाट हाल निवासीगण महला का बास तन दोरादास, तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती गुली पुत्री स्व.महादेवाराम स्त्री मेघराज जाति जाट हाल निवासी गढ़वालों की ढाणी बड़ापाना भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. ।
2 श्रीमती धापु स्त्री स्व. महादेवाराम स्त्री जयराम जाति जाट हाल निवासी नीतड़ों की ढाणी तन भोड़की, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती संतोष पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री कुरड़ाराज जाति जाट हाल निवासी ढाका की ढाणी तन टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीमती फुली देवी पत्नी स्व. सुखदेवा
5 दिनेश पुत्र स्व. सुखदेवा
जाति समस्त जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6 राजू पुत्र स्व. सुखदेवा जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। (दौराने अपील मृतक)
6/1 श्रीमती राजेश देवी पत्नी स्व. राजू
6/2 मु. रेणु पुत्री स्व. राजू
6/3 नितेष पुत्र स्व. राजू
जाति समस्त जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 मनोज पुत्र स्व. सुखदेवा
8 श्रीमती पतासी पत्नी स्व. चन्दगी
9 संदीप पुत्र स्व. चन्दगी
10 प्रमोद पुत्र स्व. चन्दगी
11 श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. दानाराम
12 बलबीर पुत्र स्व. दानाराम
13 दलीप पुत्र स्व. दानाराम
14 महेन्द्र पुत्र स्व. दानाराम
15 गिरधारी पुत्र स्व. भोलूराम
16 मंगला पुत्र स्व. भोलूराम
जाति समस्त जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
17 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट
1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक
डिक्री दिनांक 16.02.2001 बअदालत उपखण्ड
अधिकारी नवलगढ़ दावा उनवानी मु. गुल्ली देवी
बनाम सुखदेवा वगै. दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती
रिकार्ड एवं विभाजन मु.नं. 74/1999

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 126/2015

1 श्रीमती जमना पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री भींवाराम
2 श्रीमती बिमला पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री महावीर
जाति जाट हाल निवासीगण बामलास, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती छोटी पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री ताराचन्द जाति जाट हाल निवासी ढाका की ढाणी तन टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीमती मंजू पुत्री स्व. महादेवाराम पत्नी उम्मेद
5 श्रीमती मुंगी उर्फ सावित्री पुत्री स्व. महोदवाराम पत्नी महिपाल
जाति समस्त जाट हाल निवासीगण महला का बास तन दोरादास, तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती गुली पुत्री स्व.महादेवाराम स्त्री मेघराज जाति जाट हाल निवासी गढ़वालों की ढाणी बड़ापाना भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज. ।
2 श्रीमती धापु स्त्री स्व. महादेवाराम स्त्री जयराम जाति जाट हाल निवासी नीतड़ों की ढाणी तन भोड़की, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती संतोष पुत्री स्व. महादेवाराम स्त्री कुरड़ाराज जाति जाट हाल निवासी ढाका की ढाणी तन टिटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीमती फुली देवी पत्नी स्व. सुखदेवा
5 दिनेश पुत्र स्व. सुखदेवा
जाति समस्त जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6 राजू पुत्र स्व. सुखदेवा जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.। (दौराने अपील मृतक)
6/1 श्रीमती राजेश देवी पत्नी स्व. राजू
6/2 मु. रेणु पुत्री स्व. राजू
6/3 नितेष पुत्र स्व. राजू
जाति समस्त जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
7 मनोज पुत्र स्व. सुखदेवा
8 श्रीमती पतासी पत्नी स्व. चन्दगी
9 संदीप पुत्र स्व. चन्दगी
10 प्रमोद पुत्र स्व. चन्दगी
11 श्रीमती रूकमा पत्नी स्व. दानाराम
12 बलबीर पुत्र स्व. दानाराम
13 दलीप पुत्र स्व. दानाराम
14 महेन्द्र पुत्र स्व. दानाराम
15 गिरधारी पुत्र स्व. भोलूराम
16 मंगला पुत्र स्व. भोलूराम
जाति समस्त जाट निवासीगण बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
17 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धा. 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक
13.07.2006 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
दावा उनवानी मु. गुल्ली देवी बनाम सुखदेवा वगै.
दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं विभाजन
मु.नं. 74/1999

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 74/1999 में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2001 व 13.07.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1071 रकबा 3.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1073 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.91 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.34 हैक्टेय सरहद मौजा बुगाला तहसील उदयपुरवाटी के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक दावा रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 के पिता सुखदेवा तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 के पति व रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 एवं 10 के पिता चन्दगी तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 11 से 17 के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया जो दावा दिनांक 16.02.2001 व 13.07.2006 को बहक रेस्पोडेन्ट 1 निर्णित होकर क्रमशः प्राथमिक व अन्तिम डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5, धारा 96 व आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का बिना अवलोकन किये निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस पारित किया। दावा में वर्णित विवादित जमीन के गत खसरा नम्बर 577 व 578 रहे। उक्त गत खसरा नम्बर की जमीन के हाल खसरा नम्बर 1070, 1071, 1072, 1073, 1076 कुल किता 5 कुल रकबा 5.34 हैक्टेयर है। उक्त आराजी का टिनेन्ट पहले डूंगर रहे। डूंगर के चार पुत्र झाबर, भोलू, रामदेव व महादेव हुये जिन्हें उक्त आराजी उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। रामदेव का देहान्त नाऔलाद अविवाहित रहते हुये हुआ। इस प्रकार उक्त आराजी के टिनेन्ट झाबर, भोलू व महादेव हुये और प्रत्येक का 1/3 हिस्सा हुआ। महादेव की मृत्यु होने पर विरासतन नामान्तकरण संख्या 241 स्वीकृत हुआ जिसमें अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 के नाम का अंकन हुआ तथा जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में भी प्रविष्टी हुई। उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 241 में लिपिकिय भूल में रेस्पोडेन्ट नम्बर को महादेवा की पत्नी दर्ज कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 में अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के नाम के अंकन को बिना किसी आधार व आदेश के राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया और उक्त गलत रिकार्ड का आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने आपको अकेली महादेवाराम की पुत्री होना बताकर दावा पेश कर निर्णित करवाकर अन्तिम रूप में डिक्री करवा लिया। विचारण न्यायालय ने इस प्रकार तमाम राजस्व रिकार्ड का बिना अवलोकन किये निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 दावा में आवश्यक पक्षकार थी। दावा की वादिया व प्रतिवादीगण ने तथ्यों को तथा वारिसान को छिपाकर निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस पारित कर अपीलांटस को उनके हकों से वंचित रखा है। अपीलान्टस स्व. महादाराम की पुत्रियां होने से वारिस है। महादाराम की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के बाद हुई। महादाराम का जमीन जैर बहस में 1/3 हक हिस्सा व खातेदारी रही। उक्त 1/3 हक हिस्से के टिनेन्सी राईटस उत्तराधिकार में बहिस्सा बराबर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 को मिले और प्रत्येक 1/8 हक हिस्से की टिनेन्ट हुई। इस प्रकार अपीलान्टस निर्णय व अन्तिम डिक्री जैर बहस से प्रभावित है तथा निर्णय व डिक्री जैर बहस अपीलान्टस के हकों के विरूद्ध है। इस कारण यह अपील प्रस्तुत करने का हक अपीलान्टस रखते है। ईजाजत हेतु दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। विचारण न्यायालय ने कुयें व विद्युत कनेक्शन का विभाजन नहीं किया। विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के कब्जे का उल्लेख नहीं किया। तहसीलदार स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने मौके पर नहीं गये। विभाजन प्रस्ताव भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने साजसी रूप से तैयार करवाये। विभाजन प्रस्ताव वास्तविक रूप से मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये। इस प्रकार राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स 1955 की पालना किये बिना ही निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित कर तथ्य व विधि की भूल की गई है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है, धारा 96 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 में अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के नाम के अंकन को बिना किसी आधार व आदेश के राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया और उक्त गलत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रिकार्ड का आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने आपको अकेली महादेवाराम की पुत्री होना बताकर दावा पेश कर निर्णित करवाकर अन्तिम रूप में डिक्री करवा लिया। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 दावा में आवश्यक पक्षकार थी। अपीलान्टस स्व. महादाराम की पुत्रियां होने से वारिस है। महादाराम की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के बाद हुई। महादाराम का जमीन जैर बहस में 1/3 हक हिस्सा व खातेदारी रही। उक्त 1/3 हक हिस्से के टिनेन्सी राईटस उत्तराधिकार में बहिस्सा बराबर अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 को मिले और प्रत्येक 1/8 हक हिस्से की टिनेन्ट प्रथम दृष्टया प्रकृट होती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एव अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर